



# बुढीनन्दा नगरपालिका

आर्थिक ऐन, २०७८

## बुढीनन्दा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८

**प्रस्तावना:** बुढीनन्दा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको कर तथा राजस्व प्रशासनको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) र स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम बुढीनन्दा नगरपालिका नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

- संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम “बुढीनन्दा नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७८” रहेको छ ।  
(२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखि बुढीनन्दा नगरपालिकामा लागू हुनेछ ।
- घर कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम घर कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- भूमि कर (मालपोत):** नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा उपयोगको आधारमा अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- घर वहाल कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा व्यक्ति वा संस्थालाई दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- व्यवसाय कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस(खर), कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला वायस्ता प्रकृतिका बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- सवारी साधन कर:** अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन(संशोधनसहित) ऐन २०७४ को दफा ५(क) अनुसार प्रदेशले असुली गर्ने सवारी साधन करको दर वाहेकग नगरपालिकाले नगरपालिकाक्षेत्रभित्र संचालनमा हुनेसवारी साधनकर अनुसूचि (६) बमोजिम लगाइनेछ । साथै नगरपालिकाक्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका बाटोमा सवारी साधन संचालन गरे वाफत पटके सवारी कर लिईनेछ ।
- विज्ञापन कर:** अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन(संशोधनसहित) ऐन २०७४ को दफा ५(ग) अनुसार विज्ञापन करको दर नगरपालिकाले अनुसूचि (७) बमोजिमको दरमा लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
- मनोरन्जन कर:** अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन(संशोधनसहित) ऐन २०७४ को दफा ५(घ) अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामाकर अनुसूचि ८ बमोजिमको दरमा लगाइने र

असुल गरिनेछ। सो बाट संकलन भएको रकमको ४० प्रतिशतले हुने रकम प्रदेश सरकारको संचित कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गरिनेछ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्क:**नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेको अस्थायी टहरा,छाप्रा,पसल,आवास,हाटबजार,मेला,जात्रार सरकारी जग्गामा बनेको संरचनाको उपयोग वापत अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असुल गरिनेछ।
११. **पार्किङ शुल्क:**नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।
१२. **सेवा शुल्क, दस्तुर:**अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन(संशोधनसहित) ऐन २०७४ को दफा ३(३) अनुसार अनुसूचि (११) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार उपभोग गरे वापत र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसारको दरमा सेवा शुल्क लगाइ असुल गरिनेछ।
१३. **पर्यटनशुल्क:**नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची (१२)मा उल्लिखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।
१४. **प्राकृतिक स्रोत कर:** प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिम नगरपालिकाले अनुसूची (१३) अनुसार कर संकलन गर्नेछ र कर संकलनको ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश सरकारको संचित कोषमा जम्मा गरिनेछ।
१५. **सामुदायिक बनबाट प्राप्त हुने आय:** स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ६२ ख अनुसार सामुदायिक वनबाट वन पैदावार बिक्रि आय संकलन अनुसूची (१४) अनुसार गरिनेछ।
१६. **दण्ड जरिवाना:**अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन(संशोधनसहित) ऐन २०७४ को दफा ३(३) अनुसार दण्ड जरिवानाको दर नगरपालिकाले अनुसूची (१५) बमोजिमको दरमा लगाउने उठाउनेछ।
१७. **कर छुट:** (१) यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई यस ऐनमा भएको प्रावधान बाहेक कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन। तर कुनै विषम परिस्थिति(आलागी,बाढी,पहिरो,महामारी,सेवा तथा व्यवसाय ठप्प हुने गरी आन्दोलन भएमा) परी प्रमाणित हुने आधारमा नगर कार्यपालिकाले राजश्व प्रामर्स समितिको राय सल्लाह बमोजिम छुट दिन बाधा पर्ने छैन। त्यस्तो छुट दिइएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।  
(२) ठेक्का प्रक्रियाबाट आन्तरीक आय संकलन गर्दा गराउंदा त्यस्तो ठेक्काको सम्पूर्ण रकम समझौताको बखत एकमुष्ट बुझाएमा १०(दश)प्रतिशत सम्म छुट दिइनेछ। किस्ता बन्दीमा कुनै पनि छुटको सुविधा दिइनेछैन।  
(३) उपदफा(१) बमोजिम कुनै दस्तुर शुल्क र कर आशिक वा पुर्ण रुपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष नगरसभामा पेश गर्नु पर्नेछ।
१८. **बाँधा अडकाउ फुकुवा गर्न सक्ने:** यस ऐन कार्यान्वयनको क्रममा हडताल दैविक प्रकोप वा प्राकृतिक विपत्तिको कारणले उल्लेखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएमा वा उल्लेखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अडकाउ पर्न गएमा नगरकार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न प्रकृया सरलिकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अडकाउ फुकाउ गर्न सकिनेछ।
१९. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि बनाउन सक्ने:** यस ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नगरकार्यपालिकाले कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।

**अनुसूची - १**  
(ऐनकोदफा २ संग सम्बन्धित)  
**घर कर**

१. बजार क्षेत्र

क) कच्ची घर रु.५०।

ख) पक्की एक तले घर रु.१००।

ग) पक्की दुई तले घर रु.१५०।

घ) दुई तले माथी प्रति तला थप रु.५०।

२. ग्रामीण क्षेत्र

क) कच्ची घर रु.२५।

ख) पक्की एक तला रु.५०।

ग) पक्की दुई तला रु.७५।

घ) दुई तला माथी प्रति तला थप रु.२५।

**अनुसूची - २**  
(ऐनको दफा ३ संग सम्बन्धित)  
**मालपोत (भुमिकर) कर**

१. ५ रोपनी सम्म रु.२५

२. ५ रोपनी देखि १० रोपनी सम्म प्रति रोपनी थप रु.५०

३. १० रोपनी भन्दा माथी प्रति रोपनी थप रु.७०

**अनुसूची - ३**  
(ऐनकोदफा ४ संग सम्बन्धित)  
**घर जग्गा बहाल कर**

यस बुढीनन्दा नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्तिले वा संस्थाले भवन, घर, ग्यारेज, गोदाम आंशिक तवरले बहालमा दिएमा व्यक्ति वा संस्था बाट मासिक भाडाको १० प्रतिशत रकम असुल गरिनेछ ।

**अनुसूची - ४**  
(ऐनकोदफा ५ संग सम्बन्धित)  
**व्यवसाय कर**

नगरपालिकाबाट प्रस्तावित कर,शुल्क,सेवा शुल्क,सिफारीस दस्तुर र भाडाका दर रेट

(क) व्यवसाय कर(वार्षिक)

| क.सं. | शुल्क,सेवा शुल्क,सिफारीस दस्तुर र भाडाका दर रेट | रकम रु. |
|-------|---|---------|
|-------|---|---------|

|   |  |        |
|---|--|--------|
| • | होटल, लज रेष्टुरेन्ट तथा नास्ता पसल        |        |
| १ | होटेल एण्ड रेष्टुरेन्ट बजार क्षेत्र        | २०००/- |
| २ | होटेल एण्ड रेष्टुरेन्ट ग्रामिण क्षेत्र     | १०००/- |
| • | उद्योग एवं फर्म                            |        |
| १ | सिमेन्ट टायल तथा ब्लक उद्योग               | २५००/- |
| • | पशुपालन फर्म                               |        |
| १ | बाखा                                       | १०००/- |
| २ | गाई  | १०००/- |
| ३ | भैसी                                       | २०००/- |
| ४ | बंगुर                                      | २०००/- |
| ५ | मत्स्य पालन व्यवसाय                        | १०००/- |
| ६ | मौरी पालन व्यवसाय                          | ५००/-  |
| ७ | कुखुरा पालन व्यवसाय                        | १०००/- |
| ८ | दुध दहि ध्यु पनिर विक्रि गर्ने (डेरी)      | १०००/- |
| • | अन्य साना उद्योग                           |        |
| १ | ग्यारेज                                    | २०००/- |
| २ | टिउसन, कोचिड सेन्टर , कम्प्युटर ईन्सिच्युट | १०००/- |
| • | चिया तथा कफी पसल तर्फ                      |        |
| १ | चिया नास्ता पसल                            | १०००/- |
| • | माछा मासु पसल तर्फ                         |        |
| १ | माछा मासु कटिङ्गविक्री पसल                 | २०००/- |
| • | फलफूल पसल तर्फ                             |        |
| १ | फुटकर विक्रेता                             | ५००/-  |
| • | सागसब्जी तथा तरकारी पसल तर्फ               |        |
| १ | फुटकर विक्रेता                             | ५००/-  |
| • | आयुर्वेदिक औषधि तर्फ                       |        |
| १ | आयुर्वेदिक औषधि फुटकरविक्रेता              | १०००/- |
|   | स्वास्थ्य सेवा तथा क्लिनिक                 |        |
| १ | औषधि पसल                                   | २०००/- |
| २ | औषधि पसल एक्सरे समेत भएको                  | २५००/- |
| ३ | दाँत बनाउने निकाल्ने क्लिनिक               | ५००/-  |
| ४ | एग्रोभेट र पशुपंक्षी औषधी                  | ५००/-  |
| • | साना तथा खुद्रा व्यवसाय                    |        |
| १ | सिलाई पसल                                  | १०००/- |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| २  | व्यूटिपार्लर पसल/कस्मेटिक पसल/खेलौना सजावट पसल          | १०००/-     |
| •  | <b>मट्टितेल-पेट्रोल डिजल पम्प तथा अन्य व्यवसाय</b>      |            |
| १  | पेट्रोल पम्प / डिजल पम्प / मट्टितेल पम्प                | २५००/-     |
| २  | किराना पसल थोक बिक्रेता                                 | २०००/-     |
| ३  | किराना पसल फुटकर र खोका बिक्रेता पसल                    | १०००/५००/- |
| ४  | खुद्रा मदिरा विक्री पसल                                 | ३०००/-     |
| ५  | मदिरा डिलर पसल  | १००००/-    |
| ६  | हार्डवेयर तथा निर्माण सामाग्री पसल                      | ३०००/-     |
| •  | <b>इलेक्ट्रॉनिक्स र इलेक्ट्रीकल सामान मर्मत पसल</b>     |            |
| १  | इलेक्ट्रॉनिक्स र इलेक्ट्रीकल सामान विक्री तथा मर्मत पसल | १५००/-     |
| •  | <b>अन्य व्यवसाय तर्फ</b>                                |            |
| १  | फेन्सी तथा सु - सेन्टर                                  | १५००/-     |
| २  | टेन्ट हाउस, डि.जे. साउन्ड                               | १०००/-     |
| ३  | छापाखाना  | १५००/-     |
| ४  | स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल                                 | २०००/-     |
| ५  | ट्रान्सपोर्ट हुवानी सेवा                                | १०००/-     |
| ६  | ठेक्कापट्टा सम्बन्धि व्यवसाय                            | ३०००/-     |
| ७  | निर्माण व्यवसाय सुचिकृत                                 | २०००/-     |
| ८  | अन्य फर्म सुचिकृत                                       | १०००/-     |
| ९  | इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी                              | २५००/-     |
| १० | पेटिङ्ग आर्ट पसल  | ५००/-      |
| ११ | जिप टिकट बुकिङ्ग काउण्टर                                | २०००/-     |
| १२ | सुनचाँदी व्यवसाय  | २०००/-     |
| १३ | कपाल काटने पसल  | १०००/-     |
| •  | <b>उद्योग, कारखाना तथा विक्री कक्ष समेत</b>             |            |
| १  | पाउरोटी, चाउमिन उद्योग                                  | १०००/-     |
| २  | फर्निचर उद्योग काठ                                      | २०००/-     |
| ३  | फर्निचर उद्योग स्टील                                    | १०००/-     |
| ४  | कुटानी पिसानी मिल                                       | १०००/-     |
| ५  | हयाचरी उद्योग/ सो सम्बन्धि अन्य विक्रीकक्ष              | १०००/-     |
| •  | <b>विविध</b>  |            |
| १  | अन्य कुनै छुट व्यवसाय                                   | १०००/-     |

अनुसूची- ५

(ऐनकोदफा ६ संग सम्बन्धित)

जडीबुटी, कवाडी र जिवजन्तु कर यस सम्बन्धी व्यवस्था नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची - ६

(ऐनकोदफा ७ संग सम्बन्धित)

सवारी कर

सवारी कर सम्बन्धमा नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची - ७

(ऐनको दफा ८ संग सम्बन्धित)

विज्ञापन कर

(२) नगरपालिकाले लगाउने विज्ञापन कर

| क्र.सं. | विवरण   | इकाई           | रकम रु. |
|---------|---|----------------|---------|
| १       | ईलेक्ट्रोनिक्स विज्ञापन सामग्री   | प्रति वर्ग फिट | ५०/-    |
| २       | हेडिङ्गबोर्ड  | प्रति वर्ग फिट | ४५/-    |
| ३       | डि.पि.स.बोर्ड   | प्रति वर्ग फिट | ३५/-    |
| ४       | भित्तेलेखन  | प्रति वर्ग फिट | २०/-    |
| ५       | व्यानर प्रति गोटा   | प्रति हप्ता    | २०/-    |
| ६       | प्रचार प्रसार गर्ने भेन गाडी  | प्रति दिन      | १५०/-   |
| ७       | गेट राख्न कार्यालयबाट स्वीकृत लिएर  | प्रति हप्ता    | ५००/-   |
| ८       | भेन गाडीमा राखेर गरिने मार्किङ्ग व्यवसायिक प्रयोजनका लागि                                       | प्रति दिन      | १००/-   |
| ९       | सो भन्दा माथि प्रति स्क्वायर फिट  |                | ५५/-    |
| १०      | १२ स्क्वायर फिट सम्म प्रति स्कायर फिट   |                | ४५/-    |
| ११      | २४ स्क्वायर फिट सम्म प्रति स्कायर फिट   |                | ४५/-    |
| ११      | सामान्य व्यानर, पोल व्यानर दस्तुर उपशाखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोके अनुसार हुनेछ । |                |         |

**अनुसूची - ८**  
(ऐनकोदफा ९ संग सम्बन्धित)  
**मनोरन्जन कर**

| क्र.सं. | विवरण  | रकम रु.                  |
|---------|--|--------------------------|
| १       | नगरपालिका भित्र संचालन हुने साँस्कृतिक कार्यक्रम, संगित तथा मनोरन्जको प्रवेश शुल्क हरूमा मनोरन्जन कर लगाइनेछ । | प्रति प्रवेश टिकटमा रु ५ |

**अनुसूची - ९**  
(ऐनको दफा १० संग सम्बन्धित)  
**बहाल विरौटी कर**

यस नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालय कोठाको बहाल विरौटी कर निम्न बमोजिम हुनेछ ।

- १ पुस्तकालय भवनको अगाडी पट्टी रहेका कोठाको मासिक भाडा रु ३००० ।
- २ माथिल्लो तलामा रहेको ठुलो कोठाको मासिक रु १५०० ।
- ३ माथिल्लो तलामा रहेको मध्यम कोठाको मासिक रु १००० ।
- ४ माथिल्लो तलामा रहेको सानो कोठाको मासिक रु ५०० ।/७०० ।

**अनुसूची - १०**  
(ऐनको दफा ११ संग सम्बन्धित)  
**पार्किङ्ग शुल्क**

यस सम्बन्धी व्यवस्था नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

**अनुसूची - ११**  
(ऐनकोदफा १२ संग सम्बन्धित)  
**सेवा शुल्क दस्तुर**

(३) सेवा शुल्क सिफारीस दस्तुर

| क्र.सं. | विवरण  | रकम रु. |
|---------|--|---------|
| ❖       | सिफारिस दस्तुर/प्रमाणित दस्तुर तर्फ              |         |
| १       | सामान्य सिफारिस                                  | १००/-   |
| २       | नागरिकता सिफारिस                                 | ५०/-    |
| ३       | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस वैवाहिक                 | १०००/-  |
| ४       | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस दस्तुर                | १००/-   |
| ५       | दुवै नाम एकै हो भन्ने सिफारिस                    | २००/-   |
| ६       | नाम थर सच्चाउने सिफारिस                          | २००/-   |
| ७       | अंग्रेजीमा गरिने सबै सिफारिस                     | ५००/-   |
| ८       | नाता प्रमाणीत                                    | २००/-   |
| ९       | नाता कायम  | २००/-   |
| १०      | असियार प्रमाणित                                  | २००/-   |
| ११      | जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि सिफारिस         | २००/-   |
| १२      | पारिवारीक विवरण                                  | २००/-   |
| १३      | वसोवास प्रमाणीत                                  | २००/-   |
| १४      | नावालक सिफारिस                                   | २००/-   |
| १५      | जन्म मिति प्रमाणीत                               | २००/-   |
| १६      | अविवाहित प्रमाणीत                                | २००/-   |
| १७      | व्यक्तिगत प्रमाणीत                               | १००/-   |
| १८      | चारित्रिक प्रमाणीत                               | २००/-   |
| १९      | आदीवासी जनजाती, दलीत, मधेसि पिछडावर्ग सिफारिस    | १००/-   |
| २०      | व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क ३५ दिन भित्र          | निशुल्क |
| २१      | व्यक्तिगत घटना दर्ता जरीवाना ३५ औं दिन भन्दा पछि | २००/-   |
| २२      | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि       | ५००/-   |
| २३      | खानेपानी जडान, नामसारी, ठाँउसारी सिफारीस         | ५००/-   |
| २४      | विद्युत जडान, नामसारी, ठाँउसारी(घरायसी)          | ५००/-   |
| २५      | विद्युत जडान, नामसारी, ठाँउसारी उद्योग           | १०००/-  |
| २६      | काठको सिफारिस ठाँउसारी                           | ५००/-   |
| २७      | व्यावसाय दर्ता प्रमाण पत्र दस्तुर                | ५००/-   |
| २८      | व्यवसाय बन्द तथा नाम परिवर्तन                    | ५००/-   |



|    |   |               |
|----|---|---------------|
| २९ | व्यवसाय नामसारी, ठांडसारी दस्तुर  | ५००/-         |
| ३० | मदिरा व्यवसाय सिफारिस दस्तुर विक्रो खोली/नखोली वजार क्षेत्र   | ५०००/-        |
| ३१ | मदिरा व्यवसाय सिफारिस दस्तुर विक्रो खोली/नखोली ग्रामिण क्षेत्र  | २५००/-        |
| ३२ | सर्जमिन दस्तुर  | २००/-         |
| ३३ | जग्गा नामसारी सिफारीस दस्तुर  | ३००/-         |
| ३४ | नामसारी सिफारीस दस्तुर (मरुवा सरुवा हकमा)   | २००/-         |
| ३५ | सरकारी निकायमा दर्ता भएका व्यवसायहरुलाई न.पा मा दर्ता गर्दा व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र बाफत रु ५००/- र उद्योगको हकमा प्रमाण पत्र रु १०००/- | ५००/- र १०००/ |
| ३६ | मुद्धाको निवेदन दस्तुर  | १००/-         |
| ३७ | मेलमिलाप दस्तुर   | २५०/-         |
| ३८ | योजना तथा कार्यक्रम समझौता दस्तुर   | ५००/-         |
| ३९ | घर बहाल कर (प्रति एक सयको बार्षिक)  | १० प्रतिशत    |
| ४० | चारकिल्ला चौहदी प्रमाणित दस्तुर   | ५००/-         |
| ❖  | <b>पशु चौपाय निकासी पैठारी सिफारीस दस्तुर</b>   |               |
| १  | बाखा भेडा प्रति गोटा  | रु १०         |
| २  | गोरु भैसी   | रु २५         |
| ❖  | <b>उद्योग तथा व्यवसाय दर्ताको लागि गरिने सिफारिस दस्तुर</b>   |               |
| १  | कुटानी पिसानी मिल   | १०००/-        |
| २  | सिमेन्ट टायल तथा ब्लक उद्योग  | २५००/-        |
| ३  | डेरी उद्योग   | २०००/-        |
| ४  | होटल लज रेष्टुरेन्ट   | २५००/-        |
| ५  | ह्याचरी उद्योगलगायत   | २०००/-        |
| ६  | पोल्टी फर्म दर्ता   | १५००/-        |
| ७  | कृषी/पशुपालन फर्म दर्ता   | १५००/-        |
| ८  | स्टिल भाडा वर्तन तथा फर्निचर उद्योग   | २५००/-        |
| ९  | काठको फर्निचर उद्योग  | ३०००/-        |
| १० | इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स,  | १५००/-        |
| ११ | पेट्रोल एवं डिजल पम्प समेत (आयल स्टोर)  | १००००/-       |
| १२ | बिस्कृत/ पाउरोटी/चकलेट/नमकिन/चाउमिन उद्योग  | १०००/-        |
| १३ | मोटर ग्यारेज- मोटरसाईकल   | १०००/-        |
| १४ | ट्युसन, कोचिड सेन्टर, भाषा पाठशाला, कम्प्युटर इन्सिटिच्युट  | १०००/-        |
| १५ | टेन्ट हाउस /डिजे साउण्ड सिस्टम  | १०००/-        |

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| १६ | खोका छाप्रा दर्ता शुल्क                                  | ५००/-              |
| १७ | सुन चादि व्यवसाय दर्ता                                   | २०००/-             |
| १८ | फैन्सी पसल दर्ता   | १०००/-             |
| ❖  | <b>घ बर्गको निर्माण व्यवसायको सेवा शुल्क</b>             |                    |
| १  | इजाजत पत्र दर्ता शुल्क                                   | १०,०००/-           |
| २  | इजाजत पत्र हकवालाको नाममा नामसारी शुल्क                  | २,०००/-            |
| ३  | इजाजत पत्र हकवाला वाहेकको नाममा नामसारी शुल्क            | ५,०००/-            |
| ४  | इजाजत पत्र नविकरण शुल्क असोज मसान्त भित्र सम्मको         | ६,०००/-            |
| ५  | इजाजत पत्र नविकरण शुल्क चैत्र मसान्त भित्र सम्मको        | ८,०००/-            |
| ६  | इजाजत पत्र खारेज शुल्क                                   | २,५००/-            |
| ७  | इजाजत पत्र प्रतिलिपी शुल्क                               | १,०००/-            |
| ८  | इजाजत पत्र प्रमाण पत्र दस्तुर                            | १,०००/-            |
| ❖  | <b>घर बाटो भए/नभएको प्रमाणित</b>                         |                    |
| १  | वजार क्षेत्र   | १,०००/-            |
| २  | ग्रामिण क्षेत्र  | ५००/-              |
| ❖  | <b>आय श्रोत प्रमाणित</b>                                 |                    |
| ●  | <b>स्वदेश प्रयोजनको हकमा</b>                             |                    |
| १  | १० लाख सम्म  | ५००१-              |
| २  | १० लाख देखी २५ लाख सम्म                                  | १०००१-             |
| ३  | २५ लाख देखि माथी   | १५००१-             |
| ●  | <b>वैदेशिक प्रयोजनको लागि आयस्रोत प्रमाणित</b>           |                    |
| १  | पहिलो रु१० लाख सम्ममा                                    | १०००/-             |
| २  | पच्चिस लाख सम्म  | २५००/-             |
| ३  | पच्चिस लाख एक देखि पचास लाख सम्म                         | ४०००/-             |
| ४  | पचास लाख एक देखि पचहत्तर लाख सम्म                        | ५०००/-             |
| ५  | पचहत्तर लाख एक देखि एक करोड सम्म                         | ६०००/-             |
| ६  | एक करोड एक देखि एक करोड पचास लाख सम्म                    | ८०००/-             |
| ❖  | <b>शैक्षिक संस्था तर्फ</b>                               |                    |
| ●  | सरकारी स्तरका शैक्षिक संस्था                             | स्वीकृत लिनु पर्ने |
| ●  | निजि स्तरका शैक्षिक संस्था वार्षिक कर तथा सिफारिस दस्तुर |                    |
|    | अनुमती र कक्षा थपको लागि सिफारिस दस्तुर                  | १०००/-             |
|    | आधारभुत तह अनुमति  | ५०००/-             |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|   | मा.वि. तह अनुमति   | ७०००/-             |
|   | कक्षा १ देखी ५ सम्म वार्षिक कर   | ३०००/-             |
|   | कक्षा १ देखी ८ सम्म वार्षिक कर   | ५०००/-             |
|   | कक्षा १ देखी १० सम्म वार्षिक कर  | ७०००/-             |
|   | कक्षा १ देखी १२ सम्म वार्षिक कर  | १००००/-            |
| ● | निजि स्तरका शैक्षिक संस्था स्थानान्तरण   |                    |
|   | आधारभुत तह (आउदा)  | ५०००/-             |
|   | माध्यमिक तह(आउदा)  | ७०००/-             |
|   | आधारभुत तह (जादा)  | ३०००/-             |
|   | माध्यमिक तह(जादा)  | ५०००/-             |
| ❖ | बैंक तथा वित्तीय संस्था सिफारिस दस्तुर   |                    |
|   | क श्रेणी   | १००००-             |
|   | ख श्रेणी   | ५०००/-             |
|   | ग र घ श्रेणी   | ३०००/-             |
|   | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सिफारिस दस्तुर  | १०००/-             |
| ❖ | सार्वजनिक मठ मन्दिर गुम्वा,मस्जिद,चर्च पाटी पौवाको हकमा सिफारीस दस्तुर   | स्वीकृत लिनु पर्ने |
| ❖ | घर नक्शा प्रमाणित सम्बन्धि   |                    |
| ● | नक्सापास प्रमाण पत्र मात्र दस्तुर  | ५००/-              |
| ● | घर नक्शा प्रमाणित दस्तुर   |                    |
|   | ग्रामिण क्षेत्र प्रति वर्ग फुट   | १/-                |
|   | बजार क्षेत्र प्रति वर्ग फुट  | २/-                |
| ● | निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र  |                    |
|   | जस्ता छानाको घर निर्माणमा  | ३००/-              |
|   | आर.सि.सि.फ्रेम स्टक्चर १००० वर्ग फुट भन्दा कमको निर्माणमा  | ५००/-              |
|   | आर.सि.सि.फ्रेम स्टक्चर १००० वर्ग फुट भन्दा माथिका निर्माणमा  | ७००/-              |
| ● | घर नक्सा पास जरीवाना कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।   |                    |
| ❖ | पशु सेवा शुल्क दूतुर   |                    |
|   | गाई/भैसी परिक्षण शुल्क   | ३०/-               |
|   | बाखा परिक्षण शुल्क (प्रति गोटा)  | १०/-               |
|   | कुखुरा परिक्षण शुल्क (प्रति गोटा)  | ५/-                |
|   | कुकुर/बिरालो परिक्षण शुल्क   | ५०/-               |
|   | कृत्रिम गर्भाधान कार्यालयमा गरेको  |                    |
|   | गाई/भैसी   | १००/-              |
|   | बाखा   | ५०/-               |
|   | गोबर परीक्षण गरेको   | ३०/-               |
|   | पशु विकास शाखा बाट फिल्डमा गाई सेवा दिए वाफतको सेवा शुल्क (सो मध्ये रु. ५०/- गा.पा.लाई दिने जमा गर्ने र बांकी फिल्डमा खटीने कर्मचारीको हुने) | ५००/-              |
| ❖ | कृषि/पशु/महिला विकास/सामुदायिक वन दर्ता सिफारीस/दर्ता/सुचीकृत  |                    |
|   | दर्ता शुल्क  | ५००/-              |
|   | नविकरण शुल्क   | ३००/-              |
|   | सिफारीस दस्तुर   | २००/-              |

## अनुसूची — १२

(ऐनको दफा १३ संग सम्बन्धि)

### पर्यटन शुल्क

विभिन्न पर्यटकिय स्थलहरुको प्रवेश शुल्कमा प्रति टिकट ५ प्रतिशतका दरले पर्यटन शुल्क अशुल उपर गरिनेछ।

## अनुसूची—१३

(ऐनको दफा १४ संग सम्बन्धित)

### प्राकृतिक स्रोत शुल्क

#### सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले तोके वमोजिमको दर रेट

| सि.न. | विवरण   | इकाई          | न्युनतम दर |
|-------|---|---------------|------------|
| १.    | ढुङ्गा गिट्टी बालुवा ग्राभेल र रोडा/स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेक) | प्रति घन मिटर | रु ७५      |
| २.    | माटो/स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेक)                                | प्रति घन मिटर | रु ३०      |

## अनुसूची—१४

(ऐनको दफा १५ संग सम्बन्धित)

### विक्री आय कर

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले आ<sup>०</sup>नो उपभोक्ता बाहेक अन्य व्यापारीहरुलाई ठेक्का, कोटेशन वा अन्य कुनै पनि तरिकाले समुदायिक वनको काठ विक्री गर्दा काठको सदर मूल्यको १०% रकम नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने र उक्त रकम सम्बन्धित क्षेत्रको विकास निर्माण कार्यमा खर्च गरिनेछ,